Register No. 6278
File No. IV/2910
Serial No. 201

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज (सी0डि0) मलिहाबाद,
लखनऊ

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

विषयः– <u>आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति के संदर्भ में।</u>

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि आवास निर्माण हेतु मैं भूमि क्रय करना चाहता हूं। क्रय विक्रय संबंधी संव्यवहार का विवरण निम्नवत् है–

1. नाम विक्रेतागण– श्री पी0के0 सिंह पुत्र डा0 के0के0 सिंह व श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री पी0के0 सिंह, निवासीगण 30ए/1 मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।

2. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल– 1400 वर्गफिट, स्थित सेनानी विहार, हैदरमउ वार्ड खरिका, शहर लखनऊ।

3. विक्रय मूल्य– रू0 7,00,000/– (सात लाख रूपया मात्र)।

4. विक्रय मूल्य का रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपया मात्र) का भुगतान अपने निजी एसबीआई सेविंग एकाउंट सं0 10248648660 से तथा शेष चार लाख रूपया ऋण प्राप्त करके किया जायेगा।

5. विक्रेतागण का कोई भी वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही पूर्व में विक्रेतागण के पक्ष में कोई निर्णय मेरे द्वारा पारित किया गया है।

6. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरांत विक्रय के संव्यवहार से संबंधित समस्त अभिलेख नियमानुसार मा0 उच्च न्यायालय को सम्प्रेषित किया जायेगा।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने से संबंधित मेरा प्रस्तुत प्रत्यावेदन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ रखने की कृपा करें।

आदर सहित–

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 11.03.14
(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज (सी0डि0) मलिहाबाद
लखनऊ

दिनॉकः 11.03.2014

24 APR 2014

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पृ0क0: 728/XV Pf दिनांक: 12/3/14
जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

D.R.(M). By his letter dtd. 29/04/2014, the officer has not pressed his request for grant of permission to purchase the plot. May keep on record?
S.O. Admin. H/A

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज (सी0डि0)मोहनलालगंज,
लखनऊ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय: भूखण्ड क्रय किये जाने की अनुमति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांकित 11–3–14 पर बल न दिये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

ससम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैंने सेनानी विहार हैदरमऊ, वार्ड खरिका, शहर लखनऊ में स्थित 1400वर्गफुट भूखण्ड क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्ययालय से अनुमति से हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11–3–14 को प्रेषित किया था (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है)। अनुमति प्राप्त होने में विलम्ब के कारण विक्रेता ने संदर्भित भूखण्ड अन्य के पक्ष में विक्रय करने का निर्णय ले लिया है। ऐसी स्थिति में संदर्भित भूमि को क्रय करने सम्बन्धी प्राथर्न पत्र पर मैं बल नही देना चाहता हूँ।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि क्रय करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांकित 11–3–14 को बलहीन मानते हुए निरस्त करने हेतु मेरे प्रेषित प्रत्यावेदन को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानभूति पूर्वक विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

संलग्नकः यथोपरि

दिनांकः 29–04–14

भवदीय,
29.04.14
(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज (सी0डि0)मोहनलालगंज,
लखनऊ।

09 MAY 2014

पत्रांक 1126/XV-P.F. 01/5/14

D.R.(M)
For information only. May keep on record
30/X/14

Yes
11/XI

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज (सी0डि0) मलिहाबाद,
लखनऊ

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

Request-96

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

विषयः– <u>आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति के संदर्भ में।</u>

महोदय,

सरसम्मान निवेदन है कि आवास निर्माण हेतु मैं भूमि क्रय करना चाहता हूं। क्रय विक्रय संबंधी संव्यवहार का विवरण निम्नवत् है–

1. नाम विक्रेतागण– श्री पी0के0 सिंह पुत्र डा0 के0के0 सिंह व श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री पी0के0 सिंह, निवासीगण 30ए/1 मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।

2. बिक्रीत भूमि का क्षेत्रफल– 1400 वर्गफिट, स्थित सेनानी विहार, हैदरमउ वार्ड खरिका, शहर लखनऊ।

3. विक्रय मूल्य– रू0 7,00,000/– (सात लाख रूपया मात्र)।

4. विक्रय मूल्य का रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपया मात्र) का भुगतान अपने निजी एसबीआई सेविंग एकाउंट सं0 10248648660 से तथा शेष चार लाख रूपया ऋण प्राप्त करके किया जायेगा।

5. विक्रेतागण का कोई भी वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही पूर्व में विक्रेतागण के पक्ष में कोई निर्णय मेरे द्वारा पारित किया गया है।

6. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरांत विक्रय के संव्यवहार से संबंधित समस्त अभिलेख नियमानुसार मा0 उच्च न्यायालय को सम्प्रेषित किया जायेगा।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने से संबंधित मेरा प्रस्तुत प्रत्यावेदन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ रखने की कृपा करें।

२।३।१४

आदर सहित–

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 11.03.14
(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज (सी0डि0) मलिहाबाद
लखनऊ

दिनॉकः 11.03.2014

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पृ0सं0: 728/XV P.F. दिनांक 12/3/14
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

Scottal 31-8-
Encl-(25) page

Reg... File ... Serial No. ... 13904 IV/2910 181

8 2·9·13

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव,
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कस्टम,लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

4/9/13. Request-96

5-9-13

Seen by Hon'ble Justice Sanjay Mishra on 03/10/13.

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय– पत्रांक संख्या 5519/IV–2910/एडमिन–ए, दिनांकित 15.04.13 के परिप्रेक्ष्य में शस्त्र कय एवं विकय करने हेतु अनुमति के सन्दर्भ में–

रिवाल्वर संख्या सी– 5856 (.32 बोर) के विकय के सन्दर्भ में–

महोदय,

ससम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैंने माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा दिनांक 15.12.2001 को निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 220/जीएस कर्वी चित्रकूट (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर कय किया गया रिवाल्वर संख्या सी–5856 (.32 बोर) माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या 2540/आयुद्ध सहायक दिनांक 2 नवम्बर 2011 (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर प्राप्त अनुमति से उक्त रिवाल्वर वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री महताब आलम पुत्र–स्व0 मुश्ताक अहमद, निवासी–सैदाबाद, तहसील–हण्डिया, जिला–इलाहाबाद के वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति (छाया प्रति संलग्न) के पक्ष में चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करके मु0 80000/–(अस्सी हजार रूपया) (छाया प्रति संलग्न) में दिनांक 09.11.2011 को विकय कर दिया है (छाया प्रति विकय प्रमाण–पत्र)।

25 2532 S.O. Admn HA

उक्त शस्त्र के विकय हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई,1998 के प्रकाश में विवरण निम्नवत है:–

DR(M) 31-8-13

1. नियुक्ति की तिथि– 24.03.2001
2. वर्तमान सकल मासिक वेतन एवं प्राप्त मासिक वेतन कमशः 86530/– व 74130/–रूपया।
3. रिवाल्वर संख्या सी 5856 (.32 बोर) विकय करने की तिथि 09.11.2011, कीमत मु0 80000/–(अस्सी हजार रूपया)।
4. माननीय उच्च न्यायालय से रिवाल्वर विकय करने हेतु अग्रिम ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।
5. किसी बैंक या किसी संस्था से रिवाल्वर विकय करने हेतु ऋण नहीं लिया गया है।
6. वाहन कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।
7. भूमि कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।
8. नाम केता श्री महताब आलम पुत्र–स्व0 मुश्ताक अहमद, निवासी–सैदाबाद, तहसील व थाना– हडिया, जिला– इलाहाबाद।

S. Asstt. 6-9-13

Request-96

9. क्रेता वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है।
10. क्रेता से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। क्रेता का कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही पूर्व में कोई वाद क्रेता के पक्ष में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।
11. क्रेता से 80000/- (अस्सी हजार रूपया) चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करके शस्त्र का विक्रय किया गया है (चेक की छाया प्रति संलग्न)।

रिवाल्वर संख्या-ए0900ए (.32 बोर) क्रय करने के सन्दर्भ में-

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर नं0 सर्कुलर लेटर नं0 11/IV -एच -16/एडमिन-ए दिनांकित 12.04.2010 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वर्णित शस्त्र संख्या ए 0900ए क्रय करने के संबंध में सम्मानपूर्वक निवेदन है कि माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या 2539/आयुध सहायक, दिनांक 2 नवम्बर 2011 (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर माननीय जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 220/जी0एस0 कर्वी 2001 के स्थान पर निर्गत नवीन अनुज्ञप्ति संख्या 5835/ दिनांक 5 नवम्बर 2011 नवाबगंज कानपुर नगर (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर मैंने लघु आयुध निर्माणी कानपुर नगर से दिनांक 30.03.12 को मु0 114912/-रूपये में शस्त्र संख्या ए0900ए रिवाल्वर (.32 बोर) (छाया प्रति संलग्न) क्रय किया है।

उक्त शस्त्र के क्रय करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई,1998 के प्रकाश में विवरण निम्नवत है:-

1. नियुक्ति की तिथि- 24.03.2001
2. वर्तमान सकल मासिक वेतन एवं प्राप्त मासिक वेतन क्रमशः 86530/- व 74130/-रूपया।
3. रिवाल्वर संख्या ए0900ए, (.32 बोर) क्रय करने की तिथि 30.03.2012, कीमत मु0 114912/-रूपया।
4. माननीय उच्च न्यायालय से रिवाल्वर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।
5. किसी बैंक या किसी संस्था से रिवाल्वर क्रय करने हेतु ऋण नहीं लिया गया है।
6. वाहन क्रय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।
7. भूमि क्रय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।
8. नाम विक्रेता लघु आयुध निर्माणी कानपुर।
9. जी हां।
10. विक्रेता से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। विक्रेता का कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही पूर्व में कोई वाद विक्रेता के पक्ष में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।
11. पूर्वधारित शस्त्र संख्या सी-5856, (.32 बोर) का विक्रय करने से प्राप्त 80000/- रूपये की धनराशि तथा शेष धनराशि अपने निजी बचत खाता से आहरित करके उपरोक्त शस्त्र संख्या ए0900ए क्रय किया गया है, (बैंक ड्राफ्ट एवं पासबुक की छाया प्रति संलग्न)।

Request-96

उल्लेखनीय है कि शस्त्र संख्या सी 5856 के विक्रय करने एवं शस्त्र संख्या ए 0900ए क्रय करने के सन्दर्भ में समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ माननीय उच्च न्यायालय तथा श्रीमान् जी को पूर्व में मेरे द्वारा संसूचित किया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न)।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/एडमिन(ए)दिनांक 13 जुलाई 1998 तथा सर्कुलर लेटर नम्बर सीएल नम्बर 11/IV-एच-16/एडमिन-ए दिनांकित 12.04.2010 एवं नियम 24(2) गर्वमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल 1956 की अपेक्षाओं के अध्यधीन उपरोक्त विषयक पत्रांक के प्रकाश में रिवाल्वर संख्या 5856 (.32 बोर) उपरोक्त श्री महताब आलम के पक्ष में मु0 80000/- रूपये में विक्रय करने एवं नवीन शस्त्र संख्या ए0900ए रिवाल्वर (.32 बोर) मु0114912/- रूपये में क्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

जनपद न्यायालय कानपुर देहात से जनपद न्यायालय लखनऊ में स्थानान्तरण के कारण तथा आदेश के अनुपालन से संबंधित पत्र विलम्ब से प्राप्त होने एवं आवासीय असुविधा तथा विषय से संबंधित आवश्यक अभिलेख समय से न मिल पाने के कारण माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय हेतु अनुमति प्रदान करने से संबंधित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है,जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

सादर,

भवदीय, [signature] 24.08.13

(रमेश कुमार यादव),
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कस्टम,लखनऊ।

दिनांक-24.08.13

संलग्नक- यथोपरि।
(कुल संलग्नक 14)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
पत्रांक:2519/XV PF-24/8/13

Ece [signature]
जनपद न्यायाधीश, लखनऊ 24.8.2013

Request_96

संलग्नक सं०1

FORM III

Licencee [illegible]

Father's Name

Date of Issue

Address

(1)

Request-96

						Arms	Ammunition	licence is valid	licence is valid	before licencing authority under rules 50 (2)
					6		8	9	10	11
आ०सं० - 9835 / PS. ... एन० 220, ... श्री ... यादव पुत्र श्री ... यादव ... उत्तर प्रदेश - चित्रकूट	NPB ... सं० C-5356 - 32 बोर	(10) ...	(25) ...					सम्पूर्ण उ.प्र. राज्य	15-12-2008	22-3-2012

22-12-2001

(6)

(SEAL)

Licence Authority........Designation

Signature

22-12-2008

Request-96

The arms covered by the licence shall be acquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within the period so specified or extended the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be inforce

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and
year of
renewal

Renewed up to 31-12-2011

[illegible signature]

O. C. (A)
MIRZAPUR
24-12-08

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and
year of
renewal [illegible handwriting] 08-12-11 [illegible handwriting] 9835 [illegible handwriting]

[illegible signature] 3-12-11

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कानपुर नगर
08-12-11

(ii) ....

(iii)

Request-96

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

[illegible] 5856 [illegible] 08-12-2011 [illegible]

[illegible signature]

प्रभारी [illegible]

[illegible]

(10)

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

(11)

Request-96

संलग्नक सं. 2

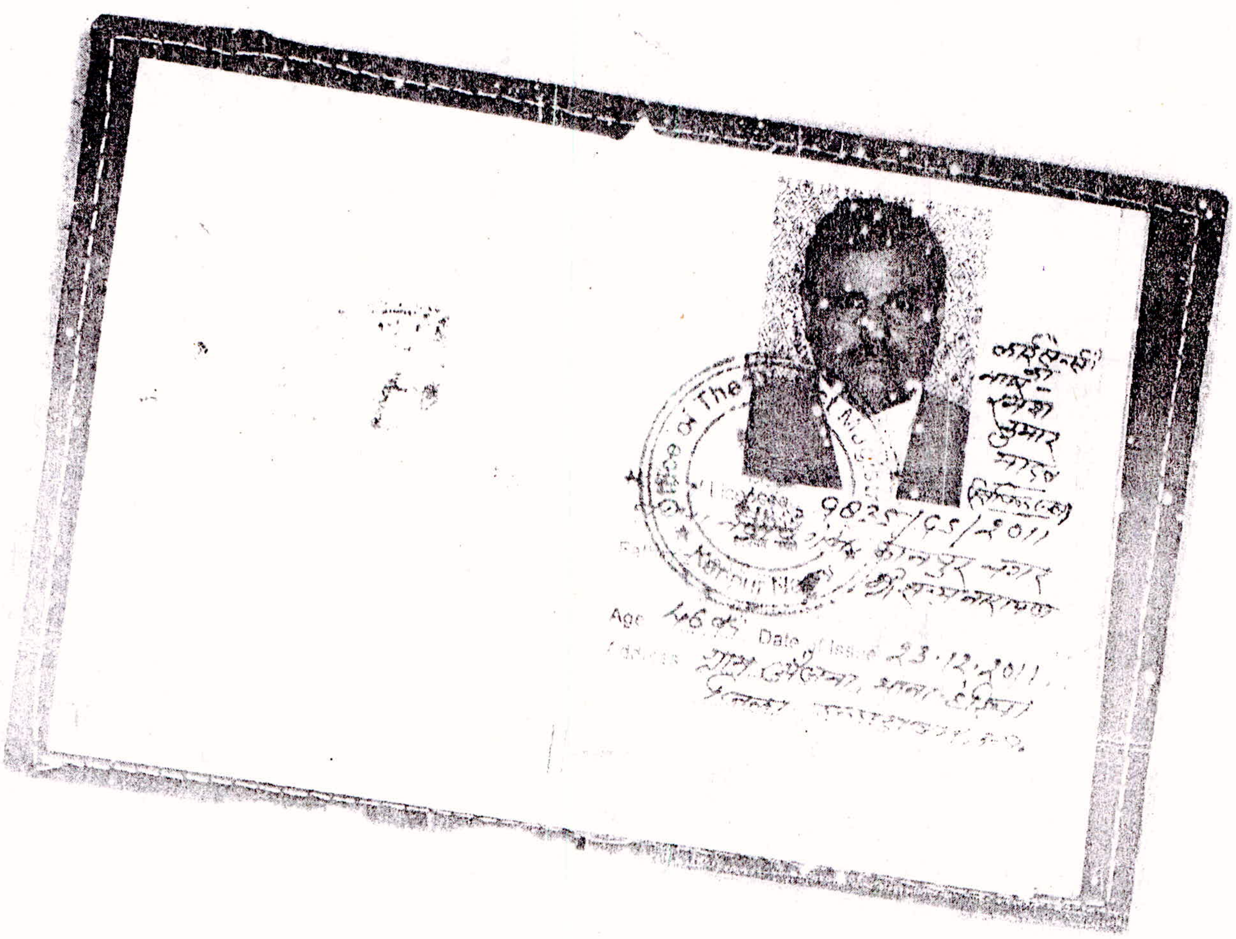

Request-96

ला०नं० 9635 / जी०एस०/2011

Name & Description and residence of Licencee	Arms & Ammunition that licence is entitled to possess: Brief Description of each Weapon with detailed e.g. identification marks register number etc.	Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchaseable during the year	Name Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retainer of entitled of possess: Arms	Ammunition	Area within which licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which licence or the arms of both shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
[illegible]	[illegible]	10 (40)	[illegible]				सम्पूर्ण भारत वर्ष	31-12-2011	31-12-2011

[illegible] 220/55 [illegible] 8-1-11 [illegible]

(SEAL)

Licence Authority

23-12-11

[illegible] अधिकारी (शस्त्र)

कानपुर नगर

Request_96

The arms convered by the licence shall be aquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within th period so specified or exterded the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be inforce.

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

Renewed upto 31-12-2014

A.D.M. (City)
Kanpur Nagar
24/12/14

(8)

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

(9)

Request-96

संलग्नक सं०3

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट,

पत्रांक– 2510/आयुध सहायक   दिनांक   नवम्बर,2, 2011

आदेश

श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी–अंजना थाना–इंडिया जनपद–इलाहाबाद सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद–चित्रकूट लाइसेन्स संख्या–220/थाना–जी0एस0–कर्वी/2001 शस्त्र एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल संख्या–सी–5856–32बोर के धारक है, प्रार्थी अपने उक्त शस्त्र एन0पी0बोर रिवाल्वर संख्या–सी–5856–32बोर को किसी वैद्य शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता की दुकान में विक्रय कर नया शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है।

अतः श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी–अंजना थाना–हंडिया जनपद–इलाहाबाद जो तत्कालीन सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद–चित्रकूट के लाइसेन्स संख्या–220/थाना–जी0एस0/2001 में आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर संख्या–सी–5856–32बोर को वैद्य शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर नया शस्त्र तीन माह के अन्दर क्रय कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट,चित्रकूट।

प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार यादव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमाबाई नगर(उ0प्र0) को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट,चित्रकूट।

29/11/11

Request-96

संलग्नक सं०3

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर(उ०प्र०)

संख्या2537 /आयुध सहायक

दिनांक नवम्बर02, 2011

विषय--- शस्त्र लाइसेन्स संख्या--220/जी0एस0कर्वी की सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या--मेमो/ए0एल0सी0--सत्यापन/नवीनीकरण दिनांक--13--10--2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी अंजना थाना--हडिया जनपद--इलाहाबाद तत्कालीन सिविल जज(जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद--चित्रकूट,को जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के आदेश दिनांक--15--12--2001 द्वारा शस्त्र एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेन्स स्वीकृत एवं निर्गत किया गया है। जिसका लाइसेन्स संख्या--220/जी0एस0कर्वी शस्त्र एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल संख्या--सी-- 5856--32बोर सीमा सम्पूर्ण भारतवर्ष है। शस्त्र रजिस्टर के अनुसार नवीनीकरण तिथि 15--12--2006 अंकित है।

उक्त शस्त्र लाइसेन्स का पंजीकरण/नवीनीकरण यदि आपके यहां किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति न होगी।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी "शस्त्र"
कृते जिला मजिस्ट्रेट--चित्रकूट।

Request_96

संलग्नक सं. 4.

T... ges

FORM...

Name of Licencee ....

Father's Name ....

Age .... Date of Issue ....

Address ....

(1)

प०न० A04408 / D 21-09-2011 / 250 F S.B / ...

Sl No. Licence	Name & Descripition and residence of Licence	Arms & Ammunition that licence is entitled to possesed: Brief Description of each Weapon with detailed e.g. Identification marks register number etc.	Arms & Description of each kind Ammunition: Maximum to be pro-cassed at any one-time	Maximum purchase able during the year	Name Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Name Name of Ammunition that retainer of entitled of possess: Arms	Ammu-nation	Area within which licence is valid	Date on. which licence is valid	Date on which licence or the arms of both shall be produced for inspection before licencing authority under urles 50 (2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2-मट-10617/थाना हण्डिया	श्री मोहनलाल कमल पु० स्व० गुरदयाल कहार निवासी - ग्राम ... थाना - हण्डिया प्रया०	N.P.B / सिंगल / 12 बोर	10 (दस)	50 (पचास)	Renewal under District Magistrate Alld. date 21-9-2011			उत्तर प्रदेश	26-09-2011	26-12-2011

The 16-9-2011 of 22-09-2011

(6)

(SEAL)

Licence Authority .... Designation .... Place

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)

(7)

कृते जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद

Signature

संलग्नक सं० 5

Request_96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

सेवा मे,

श्रीमान् जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र,
चित्रकूट ।

महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आपके पत्रांक सं0 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 के आधार पर मैंने शस्त्र लाइसेन्स सं0 220/जी0एस0 थाना-कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं0 सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाईसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर दिनांक 09.11.2011 को विक्रय कर दिया है।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,
Yadav
21.12.11

दिनांकः 21.12.2011

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

संलग्नकः
1. विक्रय पत्र की छाया प्रति
2. श्रीमान् जी के आदेश दि: 2 नवम्बर 11 की छाया प्रति

प्राप्त किया
AC
29/12/2011

वर्तमान पताः
टाइपः IV/VII-रावतपुर आफिसर्स कालोनी, कानपुर नगर।

Request-96

संलग्नक 6 -

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN

RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AC 001356

विक्रय पत्र

माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं0–2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक– नवम्बर 2, सन– 2011 (छायाप्रति सलंग्न) के आधार पर मैने शस्त्र लाइसेन्स संख्या–220/ थाना– जी0एस0 कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर संख्या–सी–5856 (32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी– ग्राम सैदाबाद थाना– हण्डिया जिला–इलाहाबाद के वैध शस्त्र संख्या–10617/2011 थाना–हण्डिया के आधार पर आज दिनांक–09–11–2011 को 80,000/–रू0(अस्सी हजार रुपये [illegible] [illegible] [illegible]/उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा– सैदाबाद के चेक सं0– 867637 के आधार पर [illegible] कर दिया

हस्ताक्षर केता–

मेहताब आलम

मेहताब आलम

पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद

निवासी– ग्राम सैदाबाद

थाना– हण्डिया

जिला– इलाहाबाद

हस्ताक्षर विकेता

Yadav 09.11.11

रमेश कुमार यादव

पुत्र श्री [illegible] नारायण यादव

निवासी– [illegible]

पोस्ट–सैदाबाद थाना–हण्डिया

जिला– इलाहाबाद

[illegible] सिविल जज सी0डि0 रमाबाई नगर।

Collectorate Court Kanpur

Identified Mehtab Alam & Ramesh Kumar Yadav [illegible]

9/11/011

Certified that this document was presented before me by [illegible] who is identified by Sri [illegible] verified on identification. Notarial Attested

Notary [illegible] Govt. of India Kanpur Nagar (U.P.)

NOTARY

मूल प्राप्त प्राप्त किया

मेहताब आलम 09-11-11

Request-96

संलग्नक सं०.7.

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक : बैंक ऑफ बड़ौदा)
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by : BANK OF BARO.

चालू खाता / Current Account

ब.प. LF.		ल.ह. INTLS.	

दिनांक/Date 9-11-2011

PAY Ramesh Kumar Yadav

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Eighty Thousand only

अदा करें

रु. Rs. 80,000/-

T.सं. c.No. 6280-

खा :
anch :

L/CA/2009/A

867637

Mehtab Alam.

Self attested.
R Yadav
14.12.12

Request-96

लेखा सं. 8-

APPLICATION FORM FOR BOOKING OF Revolver 32 MK III/ANMOL 32(7.65mm) REVOLVER (LONG BARREL)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES
SMALL ARMS FACTORY
KALPI ROAD,
KANPUR (U.P.)
PIN - 208009

Gram : SAF AC
Tel : 0512-2295041 TO 46
Ext. - 5292 & 5688
FAX : 0512-2296229

FOR OFFICIAL USE ONLY

Diary No.

Diary Date :

Booking No. :

प्राप्ति
लघु शस्त्र निर्माणी
कानपुर

To:
The General Manager
Small Arms Factory
Kalpi Road, Kanpur-208 009.

(All entries should be neatly written/typed in CAPITAL letters)

1. Full Name	RAMESH KUMAR YADAV
2. Father's/Husband's Name	SRI SATYANARAYAN YADAV
3. Telephone No. With STD Code	0512-2540100
4. Full Postal Address	T. D/7, RAWATPUR OFFICER COLONY P. S. NAWABGANJ KANPUR NAGAR PIN-208002
5. Permanent Address	VILLAGE. ANJANA, POST-SAIDABAD P.S. HANDIA DISTT- ALLAHABAD (U.P.)
6. a. Arms License No. b. Whether license valid for 0.32" or N.P. Bore Revolver c. Arm. License Valid Area d. Arm. License Valid Date e. Arms License Issuing Authority	9835/G.S./2011 YES/NO ALL INDIA 31.12.2014 DISTRICT MAGISTRATE KANPUR NAGAR
7. Arms License Address	DISTRICT MAGISTRATE KANPUR NAGAR CT.NM Rawatpur Officer Colony Kanpur Nagar
8. Full Postal address of licensing authority	DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR PINCODE 208001 Telephone No. With STD Code 0512-2304436
9. a. Bank Draft No. & Date b. Bank's Name & Branch (Please see instruction no. 2)	749733, 749734, 749735-20.12.11 UCO BANK, KANPUR NAGAR (Kalpi Road)
10. Speciman Signature of the applicant	(i) [signature] 20.12.11 (ii) [signature] 20.12.11
11. Tick the Arms	✓ a. Anmol 32 (7.65 mm) Long Barrel ₹ 110774.00 (Inclusive Taxes) b. Revolver 32 (7.65mm) MK-III ₹ 84082.00 (Inclusive Taxes)

Encl. : 1. Bank Draft of Rs. 110774.00
2. Two Copy of Arms License dully attested.

Self attested.
[signature]
24.08.12

INSTRUCTIONS FOR FILLING OF FORM

1. All entries in form should be filled in BLOCK CAPITAL LETTERS or neatly typed.
2. Enclose a crossed bank draft of requisite amount which Drawn in favour of the General Manager.
3. Enclose two attested photocopy of your valid Arms License for NP bore Revolver issued by the Licensing Authority.

(For Instructions, Terms & Conditions please see Page 2)

Request-96

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384

संलग्नक सं० 9.

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF

रुपये RUPEES Twelve Thousand Seven Hundred Seventy Four only

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

अदा करें रु.Rs. *****12,774.00

यूको बैंक
UCO Bank

****** Not Over INR. 12,774.00 ******

कृते यूको बैंक For UCO Bank

CPO अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749735" 2080 280071: 12

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand only

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

अदा करें रु.Rs. ***49,000.00

यूको बैंक
UCO Bank

****** Not Over INR. 49,000.00 ******

कृते यूको बैंक For UCO Bank

CPO अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749734" 2080 280071: 12

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384

केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand only

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

को या उनके आदेशपर OR ORDER

अदा करें रु.Rs. ***49,000.00

यूको बैंक
UCO Bank

****** Not Over INR. 49,000.00 ******

कृते यूको बैंक For UCO Bank

CPO अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

प्रबन्धक / MANAGER

(भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749733" 2080 280071: 12

Self attested
24.08.13

Request - 96

संलग्नक सं.-10

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round off
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husbandof
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Savings Bank Account
CIF No : 80192793263
Account No : 10243648560
Customer Name: RAMESH KUMAR YADAV

S/D/W/H/o: SATYA NARAIN YADAV
Address: CIVIL JUDGE
SENIOR DIVISION
DISTRICT COURT
Phone:
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.: SINGLE
Nom. Reg. No.: 000000001408846C

CONTINUATION

KANPUR MAIN BRANCH
16/101

Phone: 2304091
Email: SBI.00107@SBI.CO.IN
Branch Code: 107
Date of Issue: 14/12/2012
14/12/2012 2494787 107
IFSC: SBIN0000107

शाखा प्रबन्धक
Branch Manager

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	640033.33Cr
29.11.11	ATM 2906 SBI SHESH SADAN KANPUR		10000.00		630033.33Cr
06.12.11	POS 250042 MONTE CARLO KANPU		2788.00		627245.33Cr
06.12.11	POS 540480 MCS FASSHIONZ-WLS KANPU		1749.00		625496.33Cr
09.12.11	LOCL	538976288		67470.00	692966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		682966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		672966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		5000.00		667966.33Cr
28.12.11	ATM 5105 UCO BANK KANPUR		10000.00		657966.33Cr
28.12.11	ATM 5106 UCO BANK KANPUR		10000.00		647966.33Cr
31.12.11	INTEREST CREDIT			12551.00	660517.33Cr
07.01.12	POS 216983 LIMITED.BIRHANA ROAD KANPUR		10000.00		650517.33Cr
07.01.12	POS 217117 LIMITED.BIRHANA ROAD KANPUR		20000.00		630517.33Cr
08.01.12	ATM 6737 PUNJAB NATIONAL BANK ALLAHABA		[illegible].00		
08.01.12	ATM 6738 PUNJAB NATIONAL BANK ALLAHABA		10000.00		610517.33Cr
09.01.12	LOCL	538976288		67463.00	677980.33Cr
15.01.12	ATM 8378 SBP CIVIL LINES ALLAHABA		15000.00		662980.33Cr
19.01.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		7500.00		655480.33Cr
22.01.12	POS 240381 AMIT SPORTS KANPU		10000.00		645480.33Cr
28.01.12	ATM 1113 ANDHRA BANK KANPUR		5000.00		640480.33Cr
01.02.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		630480.33Cr
01.02.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		620480.33Cr
03.02.12	ATM 7605 BOB KANPUR		10000.00		610480.33Cr
03.02.12	ATM 7606 BOB KANPUR		10000.00		600480.33Cr
04.02.12	LOCL	538976288		42597.00	643077.33Cr
10.02.12	SC: 69881719LOD AMT 14483.000D	31826			643077.33Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180800300041848-20		100.00		642977.33Cr
25.02.12	SC: 69881719PAID	31826		14483.00	657460.33Cr
				Carried Forward	657460.33Cr

Self attested
(signature)
24.1.13

संलग्नक सं० 11

Request - 96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

सेवा मे,

माननीय महा-निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद रमाबाई नगर।

महोदय,

सससम्मान निवेदन है कि मैंने माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं० 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दि० नवम्बर 2, सन् 2011 के आधार पर अपने शस्त्र लाईसेन्स सं० 220/थाना--जी०एस० कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं० सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व० मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं० 10617/2011 थानां हण्डिया के आधार पर आज दिनांक 09.11.2011 को 80,000रू०(अस्सी हजार रू०) में केता द्वारा निर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सैदाबाद के चेक सं० 867637 के आधार पर विकय कर दिया है। केता का कोई भी मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उनका कोई वाद मेरे द्वारा पूर्व में निस्तारित किया गया है। केता मेरे मूल निवास से संबंधित खण्ड विकास के निवासी हैं।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,

Yadav
09.11.11

दिनांकः09.11.2011

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

संलग्नकः

1. माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट के आदेश दिनांक 2.11.2011 की छाया प्रति।
2. विकय पत्र दिनांकित 9.11.2011 की छाया प्रति।
3. चेक सं० 867637 की छाया प्रति।

संलग्नक सं० 12

Request - 96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)

कानपुर देहात।

सेवा मे,

महा-निबन्धक महोदय,

उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

रमाबाई नगर।

विषयःशस्त्र कय किए जाने के सन्दर्भ में :-

महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मैंनें अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 220/जी0एस.कर्वी/2001 से आच्छादित रिवाल्वर सं0 सीः5856 एनपीबी 32बोर माननीय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं0 2540 दिनांकित 2.11.11 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अली अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं0 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर 80,000रू0 में दिनांक 9.11.2011 को विकय करने के उपरांत लघु आयुध निर्माणी कानपुर से जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 9835/जी0एस0/2011 के आधार पर दिनांक 30.3.2012 को मुबलिग 1,14,912रू0 में कय कर लिया है। संबंधित अभिलेख संलग्न आवेदन हैं। सूचना श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांकः07.04.2012

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,

Yadav 07.04.12

(रमेश कुमार यादव)

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)

रमाबाई नगर।

Ramabai Nagar Judgeship at, Kanpur.

No. 415/XV Dated: 09-4-2012.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at, Allahabad for necessary action.

09.4.12

District Judge,

Ramabai Nagar.

Request-96

संलग्नक सं०-13

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक
माननीय उप-निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषयः **<u>माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 12517/IV-2910/एडमिन-ए, दिनांकित, इलाहाबाद 22-8-2012 के सन्दर्भ में :-</u>**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आहूत आख्या माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/ एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई, 1998 के प्रकाश में निम्नवत हैः-

कम संख्या-1 नियुक्ति की तिथि 24-3-2001

कम संख्या-2 वर्तमान सकल मासिक वेतन एवं प्राप्त मासिक वेतन कमशः 77621, व 66221

कम संख्या-3 रिवाल्वर संख्या ए 0900ए, 32 बोर कय करने की तिथि 30-03-2012, कीमत मु01,14,912 रू.।

कम संख्या-4 माननीय उच्च न्यायालय से रिवाल्वर कय करने हेतु अग्रिम ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

कम संख्या-5 किसी बैंक या किसी संस्था से रिवाल्वर कय करने हेतु ऋण नहीं लिया गया है।

कम संख्या-6 मकान कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

कम संख्या-7 भूमि कय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

Request_96

क्रम संख्या-8 नाम विक्रेता लघु आयुध निर्माणी कानपुर ।

क्रम संख्या-9 जी हाँ।

क्रम संख्या-10 जी नहीं, विक्रेता से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। विक्रेता का कोई वाद मेरे न्यायालय मे विचाराधीन नहीं है, न ही पूर्व में कोई वाद विक्रेता के पक्ष में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।

क्रम संख्या-11 अपने पूर्वधारित शस्त्र संख्या सी-5856, 32 बोर का विक्रय करने से प्राप्त 80,000 रुपये की धनराशि तथा शेष धनराशि अपने निजी बचत खाता से आहरित करके बैंक ड्राफ्ट जमा करके क्रय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शस्त्र संख्या सी. 5856 एवं ए 09000 के क्रय एवं विक्रय के सन्दर्भ में श्रीमान् जी द्वारा पूर्व में पत्रांक सं.7534/IV-2010/एडमिन (ए) दिनांकित 16-05-12 के आधार पर आहूत आख्या के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण दिनांक 05-08-2012 को प्रेषित किया गया है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या 2540, दिनांक 2 नवम्बर, 2011 द्वारा वैध शस्त्रधारी के पक्ष में शस्त्र संख्या सी. 5856, 32बोर का विक्रय करके नवीन शस्त्र क्रय करने हेतु प्राप्त अनुज्ञाप्ति के आधार पर उक्त शस्त्र श्री महेताब आलम निवासी सौदाबाद थाना हंडिया जिला इलाहाबाद के पक्ष में 80,000 रुपये के चैक के माध्यम से (वर्तमान मूल्य 86,000 रुपये) प्राप्त करके दिनांक 09.11.2011 को विक्रय किया है। उक्त शस्त्र के विक्रेता श्री महेताब आलम का कोई मुकदमा मेरे द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, न ही उसका कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन ही है।

शेष पेज संख्या-3 पर

Request-96

श्रीमान जी की सेवा में उपरोक्तानुसार सुसंगत अभिलेखों के साथ आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांक 13.09.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, कानपुर देहात।

संलग्नक

1-श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।

2-प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.11, 07.04.12 एवं 5.7.12 की छाया प्रति।

3-शस्त्र अनुज्ञप्ति के कानपुर नगर में पंजीकृत हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।

4-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।

5-विक्रय पत्र की छाया प्रति।

6-चैक की छाया प्रति

7-लघु आयुध निर्माणी कानपुर को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की छाया प्रति।

8-ड्राफ्ट की छाया प्रति।

RAMABAI NAGAR (KANPUR DEHAT) JUDGESHIP, KANPUR.

No. 1060/XV Dated : 15-9-2012

Forwarded to Sri Maharanidin, Deputy Registrar, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad for necessary action.

District Judge,
Ramabai Nagar.

संलग्नक सं० 14

Request-96

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या–1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन
माननीय उप–निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषयः माठ महोदय के पत्रांक संख्या–15807 / IV–2910 / एडमिन (ए), दिनांकित, इलाहाबाद 09–10–2012 के सन्दर्भ में:–

महोदय,

सादर उपर्युक्त विषयक में आहूत स्पष्टीकरण के संदर्भ में ससम्मान निवेदन है कि –

1– उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली 1956 की धारा–24 (2) के अनुसार– कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्याति–प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उक्त बिन्दु संख्या–1 के संदर्भ में सादर निवेदन है कि दिनांक 15–12–2001 को मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय ने मुझे रिवाल्वर क्रय करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220 / जी0 एस0 कर्वी, निर्गत किया था जिसके आधार पर मैंने रिवाल्वर संख्या–सी 5856

Request-96

(32बोर) क्रय किया तथा माननीय उच्च न्यायालय को संसूचित किया। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या–2540/आयुध सहायक, दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के आधार पर प्राप्त अनुमति के प्रकाश में उपरोक्त रिवाल्वर संख्या–5856 मैंने वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताव आलम निवासी ग्राम–सैदाबाद, तहसील–हण्डिया जिला–इलाहाबाद के पक्ष में चेक के जरिये 80,000 रूपये में दिनांक 09–11–2011 को विक्रय करने के उपरान्त मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या–2539/ आयुध सहायक नवम्बर 2, 2011 के आधार पर मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं.220/जी एस/कर्वी /2001 के स्थान पर निर्गत नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति 9835/ जी एस /2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर के आधार पर मैंने लघु आयुध निर्माणी कानपुर नगर, जो कि सरकारी संस्था है, से दिनांक 30–03–12 को मु0 1,14,912 रूपये में शस्त्र संख्या–ए 0900ए रिवाल्वर (32 बोर) क्रय किया तथा क्रय एवं विक्रय के संव्यवहार से मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट को दिनांक 21–11–2011 को तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित संसूचित किया, जिसका विस्तृत विवरण एवं उल्लेख मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 09–11–11 एवं 07–04–12 तथा मा0 महोदय के पत्रांक संख्या–7534/ IV–2910/एडमिन (ए) दिनांकित 16–5–12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 05–07–12 एवं पत्रांक संख्या–12517/ IV–2910/एडमिन (ए) दिनांकित 22–8–12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 13–09–12 में अंकित है तथा जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रत्यावेदन है।

शस्त्र का क्रय एवं विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैंने मा0

Request-96

जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर संदर्भित शस्त्र का क्रय एवं विक्रय करते हुए संव्यहार के समस्त तथ्यों से माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार अवगत कराया है, अतः उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली के उपरोक्त नियम 24 (2) के अवज्ञा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

2–माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या–11/ IV–एच–16/एडमिन (ए) दिनांक 12–4–2010 के अनुसार–

"I am directed to say that all the judicial officers be directed that application to obtain permission for purchase of firearm be made in the Court at the time of submission of application for grant of such licence."

बिन्दु संख्या–2 के संबंध में सादर निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय का उपरोक्त सर्कुलर लेटर उपबंधित करता है कि जो न्यायिक अधिकारी नवीन शस्त्र क्रय करना चाहता है उसके लिए अभीष्ट है कि वह शस्त्र हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मा0 उच्च न्यायालय को आवेदन करते समय शस्त्र क्रय करने की अनुमति भी मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त करें। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या–2539/आयुध सहायक दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के अधीन मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर ने मेरे शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220/जी0 एस0 कर्वी को अपने रजिस्टर में अंकित किया जिसके कारण मेरे उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीन क्रमांक 9835/जी.एस./2011 थाना नवाबगंज जिला कानपुर नगर हो गया है। तदनुसार मेरे

Request_96

द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220 जी एस/कर्वी 2001 ही नवीन शस्त्र संख्या 9835 जी एस/2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर है। अत : मेरी शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 9835/जी एस/2011 थाना नबावगंज कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सर्कुलर लेटर संख्या–11/ IV–एच–16/एडमिन (ए) दिनांक 12–4–2010 के पूर्व का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सर्कुलर लेटर से आच्छादित नहीं है।

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि संदर्भित शस्त्र मैंने 80,000 रूपये में विक्रय किया है जब कि विक्रीत शस्त्र की लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर में वर्तमान कीमत 85,000 के लगभग है। मेरा विक्रीत शस्त्र दस वर्ष पुराना होने तथा लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर नगर द्वारा नवीन निर्मित शस्त्र (रिवाल्वर अनमोल 32 बोर) की मारक क्षमता अधिक होने के कारण पूर्व धारित रिवाल्वर संख्या–सी 5856 का विक्रय करके रिवाल्वर संख्या–ए 0900ए क्रय किया है। अतः स्पष्ट है कि मैंने किसी आर्थिक लाभ के लिए संदर्भित शस्त्र का विक्रय मैंने नहीं किया है। प्रकरण शस्त्र के क्रय एवं विक्रय से संबंधित है। शस्त्र का क्रय एवं विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय में मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही उपरोक्त वर्णित किसी नियम की जानबूझकर अवहेलना किया है फिर भी यदि संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय में मेरे द्वारा भ्रम वश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय संबंधित अभिलेखों की खोजबीन करने, न्यायालीय कार्य की व्यस्तता एवं ग्रेटर नोयडा में ट्रेनिंग में शामिल होने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है जिसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

Request-96

अतः संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय के परिप्रेक्ष्य में व्यय विवरण के निर्धारण हेतु चेक एवं पास बुक की स्वतः प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रत्यावेदन करते हुए उपरोक्तानुसार आख्या श्रीमान जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांक 14–12–12

भवदीय

Yadav 14.12.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं.1
कानपुर देहात।

संलग्नकः–

1– शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220/जी.एस. कर्वी की छाया प्रति।
2– शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–9835/जी.एस./2011 थाना नबावगंज कानपुर नगर की छाया प्रति।
3– मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या–2539 व 2540 दिनांकित नवम्बर 2, 2011 की छाया प्रतियां।
4– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 09–11–11 एवं दिनांक 07–04–12 की छाया प्रतियां।
5– मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट को प्रेषित पत्र दिनांक 21–11–11 की छाया प्रतियां।
6– विक्रय पत्र दिनांक 09–11–11 की छाया प्रति।
7– श्री महताव आलम द्वारा निर्गत चेक संख्या–867637 दिनांकित 09–11–11 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
8– लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर नगर के विक्रय फार्म की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
9– बैक ड्राफ्ट दिनांकित 28–12–11 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
10– पास बुक संख्या 10248648660 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
11– स्पष्टीकरण दिनांक 05–07–12 एवं 13–09–12 की छाया प्रति।

दिनांक 14–12–12

Yadav 14.12.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं.1
कानपुर देहात।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 1357/XV ....dated 14-12-2012
Forwarded to Sri Mahamani Deen, Dy. Registrar, Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.

Request-96

From,

S.S. Gautam,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Lucknow.

No. 10817 / IV- 2910 / Admin (A) / Dated 05-8-2013

Subject: - Grant of permission for sale of his old vehicle and to purchase a new one to Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

Sir,

With reference to your endt. no. 1907/ XV PF dated 27.06.2013 on the above subject, I have to say that the Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow may kindly be asked to intimate the make and model of the vehicle no. UP-70-AV-4123, its price at the time of its purchase, to furnish copy of present 'Insurance policy' of the same, its valuation report and full detail of proposed sale transaction i.e. name and address of the purchaser, whether purchaser is related to him or any of the case of the purchaser is ever pending in decided in his court etc., so that further necessary action may be taken in the matter.

D.R.(M) May issue? 01.08.13

Sri Yadav may also kindly be informed that prior permission of the Court is not required for purchase of a new vehicle, if the same has been purchased from an authorised dealer.

Yes 2/8

Yours faithfully

2.8.13
Deputy Registrar

No. 10818/ IV- 2910 / Admin (A) / Dated 05-8-2013

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

2.8.13
Deputy Registrar

Santlal
24-7-13
co-o Encl

24-7-13

12257
IV/2910
178

प्रेषक:

रमेश कुमार यादव,
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

23-7-13

सेवा में,

माननीय निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

30-7-13

31-7-13

Request-96

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषय : वाहन के कय हेतु अनुमति के सन्दर्भ में:

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं वाहन संख्या यू0पी0 70 एवी 4123 का पंजीकृत स्वामी हूं। उक्त वाहन काफी पुराना हो गया है। जिसका विकय करके नया वाहन कय करना चाहता हूं।

मैं अपना उपरोक्त वाहन तीन लाख रूपये में ऐसे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में, जिसका मामला मेरे न्यायालय में विचाराधीन न हो तथा जिसका कोई वाद मेरे द्वारा पूर्व में निस्तारित न किया गया हो, के पक्ष में विकय करने की सामान्य प्रस्थापना करता हूं।

2152
SO Admn H/A

उपरोक्त वाहन के विकय एवं नवीन वाहन के कय करने के उपरान्त सुसंगत अभिलेखों से माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार संसूचित किया जायेगा।

DR (M)
24-7-13

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त वाहन के विकय एवं नया वाहन कय करने हेतु अनुमति से संबंधित मेरा प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ रखने की कृपा करे।

DR (M)
co-o Encl

सादर

भवदीय,
(Yadav)
27.06.13
(रमेश कुमार यादव),
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

दिनांक-27.06.13

23 JUL 2013

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
1907/XV Pf दिनांक 27/6/13
अग्रसारित किया गया
27-6-2013

Sri Arvind
01-08-13

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.06 10:18:23 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad